

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना-15, दिनांक-01-11-17


संख्या-12/प0-(मू0को0) 407/2014- सा0प0-13775/बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री राजेश रौशन, 1161/11, पू० चंपारण	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी, पटनासिटी, पटना
2	श्री अरुण प्रकाश, 1284/11, पटना	भूमि सुधार उप समाहर्ता, खसौल, पूर्वी चंपारण	अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर, भोजपुर
3	श्री परितोष कुमार, 1092/11, नवादा	श्री जीतन राम माँझी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के आप्त सचिव बिहार, पटना	अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद
4	श्री शंकर शरण ओमी, 1428/11, भागलपुर	वरीय उप समाहर्ता, दरभंगा	अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी
5	श्रीमती किरण सिंह, 1228/11, मधुबनी	वरीय उप समाहर्ता, सहरसा	अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल
6	श्री सुनील कुमार सिंह, 1347/11, उ० प्र०	वरीय उप समाहर्ता, औरंगाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी सदर
7	श्री नीरज कुमार, 1317/11, भागलपुर	वरीय उप समाहर्ता, बाँका	अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार सदर
8	श्री मुकेश कुमार, 1404/11, सीतामढ़ी	जिला योजना पदाधिकारी, भभुआ, कैमूर	अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया, भागलपुर

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं ।

3. उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन के निर्णय में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की सहमति प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0) 407/2014-सा0प0- 13775 /पटना, दिनांक- 01-11-17

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/श्री जीतन राम मांझी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव